देहरादून

(1871 का अधिनियम संख्यांक 21)

[11 जुलाई, 1871]

**देहरादून में साधारण विनियमों और अधिनियमों के
प्रवर्तन को विधिमान्य
करने के लिए
अधिनियम**

उद्देशिका—यत: देहरादून के अधीक्षक के अधीन जिला में साधारण विनियमों और अधिनियमों के प्रवर्तन को विधिमान्य करना [1]*** आवश्यक है ; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. सहारनपुर में प्रवृत्त विनियमों और अधिनियमों का देहरादून में विस्तार—विनियम और अधिनियम जो अब सहारनपुर जिला में प्रवृत्त है उनका देहरादून के उक्त जिला में विस्तार होना एतद्द्वारा घोषित किया जाता है [2]*** ।

2. देहरादून में उच्च न्यायालय और राजस्व बोर्ड की अधिकारिता—[3][उत्तर प्रदेश] के उच्च न्यायालय और राजस्व बोर्ड क्रमश: उक्त जिले में उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे [4]*** जिन्हें उक्त उच्च न्यायालय या राजस्व बोर्ड वर्तमान में [3][आगरा] के किसी भाग में प्रयोग करने के लिए क्रमश: प्राधिकृत हैं ।

3. सहारनपुर का जिला न्यायालय देहरादून का जिला न्यायालय होगा—जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश नहीं दे सहारनपुर जिला न्यायालय [5]*** ऐसे जिले का जिला न्यायालय होगा [6]*** ।

4. जौनसर बाबर की छूट—इस अधिनियम की कोई भी बात देहरादून जिले के उस भाग पर लागू नहीं होगी जिसे [7]जौनसर बाबर [8]*** कहा जाता है ।

---

[1] 1874 के अधिनियम सं० 16 द्वारा "और उक्त अधिनियमों तथा विनियमों के अधीन, उक्त जिले में कार्य कर चुके सभी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए" शब्द निरसित किए गए ।

[2] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "इससे पूर्व उक्त जिले में दिया गया कोई निर्णय, पारित आदेश या की गई कार्यवाही को केवल इस कारण कि कोई विनियम या अधिनियम जिसके अधीन या निर्देशानुसार ऐसा निर्णय दिया गया, आदेश पारित किया गया या कार्यवाही की गई, ऐसे निर्णय, आदेश या कार्यवाही के समय प्रवृत्त नहीं था या किसी न्यायालय या कार्यालय में अधिकारिता के दोष के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी या समझी जाएगी" शब्द निरसित किए गए ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "उत्तर-पश्चिम प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "और प्रयोग करने के लिए इससे पूर्व प्राधिकृत किया गया समझा जाएगा" शब्द निरसित किए गए ।

[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "उक्त देहरादून जिले का इससे पूर्व जिला न्यायालय समझा जाएगा और" शब्द निरसित किए गए ।

[6] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "और 1871 के अधिनियम सं० 6 के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व उक्त जिले में दिए गए निर्णयों की अपीलें सुन सकेगा" शब्द निरसित किए गए ।

[7] "जौनसार बाबर" उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जिलों में से एक था, देखिए अनुसूचित जिले अधिनियम, 1874 (1874 का 14), पहली अनुसूची, भाग 4, परन्तु भारत के संविधान के अधीन अनुसूचित जिला नहीं रहा ।

[8] 1891 के अधिनियम सं० 12 द्वारा "और 1864 के अधिनियम सं० 24 की धारा 11 में निर्दिष्ट" शब्द निरसित किए गए ।